संख्या-3/2023/469/33-3-2023-1182/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 02 मार्च, 2023**

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 में मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि धनराशि रू. 150.00 लाख अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6/2453/2021-6/134/2005 रिट दिनांक 10.06.2022 एवं वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 में मैनुअल स्कैवेन्जर क्षतिपूर्ति योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि धनराशि रू. 150.00 लाख (रू. एक करोड़ पचास लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि का व्यय राजस्व मद की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(2) आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाईडलाइन/दिशा निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-1390/33-3-2022-1182/2022 दिनांक 22.07.2022 तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि केविरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

(8) योजनान्तर्गत लाभार्थी का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि का प्रेषण सीधे लाभार्थी के खाते में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(12) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है। निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।

(13) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि एवं अर्जित ब्याज राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 एवं समय/समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0- **E-2-181-X-2022-23-दिनांक:17-2-2023** में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। भवदीय

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या तथा दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- एन0आई0सी0 की प्रति।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।